

राजस्थान - सरकार  
शिक्षा - विभाग

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.1(वे.नि.)स्था/HRD/आकाशि/2020/1086

दिनांक:- 10.11.2020

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय :- नवचयनित सहायक आचार्यों के परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतन नियतन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(वे.नि.)स्था/आकाशि/2020/1058 दिनांक 13.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नव चयनित सहायक आचार्यों के वेतन नियतन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों में उक्त संदर्भित परिपत्र के पालना में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि परिपत्र दिनांक 13.10.2020 के अनुरूप अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर वेतन नियतन किये जावें।

इसे गम्भीरता से लिया जाए।



(संदेश नायक)  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर